<u>न्यायालय सिविल जज (प्रवर वर्ग), रामपुर।</u>

मूलवाद सं०– 343/2022

(366/2022)

दारा सिंह आदि –––**बनाम**––– अनीस अहमद आदि

<u>06–02–2024</u>

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 23 क 2/26 क 2 नियत है। प्रार्थना पत्र 29 ग/26 क 2/23 क 2 मय आपत्ति 25 ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 23 क 2 मय आपत्ति 25 ग</u>

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र 23 क 2 मय शपथपत्र 24 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र के उनवान में प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 का पता अपूर्ण है, जिस कारण उनको सम्मन की तामील पर्याप्त नहीं हो पा रही है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण सं० 6 व 8 की ओर से आपत्ति 25 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि संशोधन प्रा०पत्र झूठा व गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। संशोधन प्रा०पत्र प्रस्तुत वाद को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 के सही पते की जानकारी शुरू से ही थी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अत्यधिक से देरी से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा योजित किया है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र 23 क 2 के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 के पते को अपूर्ण बताते हुए, उसे संशोधन के माध्यम से पूर्ण किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रतिवादीगण सं० 6 व 8 की ओर से आपत्ति 25 ग प्रस्तुत कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त संशोधन वाद पत्र पर चाहा गया है। जहाँ तक प्रतिवादीगण की आपत्ति का प्रश्न है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 23 क 2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23 क 2 अंकन 100/– (एक सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तदुनसार आपत्ति 25 ग निस्तारित की जाती है। हर्जा अदायगी के उपरान्त प्रार्थीगण/वादीगण को उपरोक्त प्रार्थना पत्र 23 क 2 के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण/वादीगण संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 29 ग/26 क 2 लन्च उपरान्त पेश हो।

सिविल जज (प्रवर वर्ग),
रामपुर।

<u>लन्च उपरांत</u>

लन्च उपरांत पत्रावली पुनः पेश हुई। पत्रावली प्रार्थना पत्र 29 ग/26 क 2 के निस्तारण हेतु नियत है तथा प्रार्थना पत्र 29 ग/26 क 2 पर पूर्व में सुना जा चुका है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 29 ग</u>

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 29 ग मय शपथ पत्र 30 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 26–09–2023 को प्रतिवादी सं० 3 अफसर अली की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना वादीगण को देरी से प्राप्त हुई, जिस कारण समय से मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन/संशोधन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन/संशोधन में हुई देरी को माफ किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 08–01–2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 29 के माध्यम से प्रतिस्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी सं० 3 अफसर अली की दिनांक 26.09.2023 को मृत्यु होना बताया गया है, जबकि यह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 को प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिस्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में दिये गये आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। तदनुसार प्रार्थना पत्र 29 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र सं० 29 ग स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रतिस्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

सिविल जज (प्रवर वर्ग),
रामपुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 26 क 2</u>

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 26 क 2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं० 2 अफसर अली की मृत्यु दौराने वाद दिनांक 26–09–2023 को हो चुकी है। मृतक अफसर अली के वारिसान प्रार्थीगण के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। प्रतिवादी सं० 2 की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसान के खिलाफ प्रार्थीगण वाद चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पर घोर आपत्ति की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 15–12–2023 को प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय में निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र 26 क 2 के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी सं० 2 को काटा जाकर प्रतिवादीगण सं० 3 ता 8 को क्रमशः 2 ता 7 अंकित करने तथा वाद पत्र में जहाँ–जहाँ सं० 2 अंकित है, उसको खण्डित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त संशोधन वाद पत्र पर चाहा गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 26 क 2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 26 क 2 अंकन **200/–(दो सौ)** रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/वादीगण को उपरोक्त प्रार्थना पत्र 26 क 2 के प्रकाश में वादपत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण /वादीगण संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर दिनांक 04–03–2024 को पेश हो।

सिविल जज (प्रवर वर्ग),
रामपुर।